(क) पैन के लिए दिशानिर्देश नया →

https://tin.tin.nsdl.com/pan/form49A.html
https://tin.tin.nsdl.com/pan/Guidelines49A.html

(क) ऑन-लाइन पैन आवेदन निम्नलिखित के लिए उपलब्ध नहीं है :

*** सरकारी संगठन**

(ख) आवेदक फॉर्म 49ए ऑन-लाइन भरेगा और फॉर्म प्रस्तुत करेगा.

(ग) यदि कोई गलती है तो उसे ठीक करेगा और फॉर्म पुन: प्रस्तुत करेगा.

(घ) आवेदक द्वारा भरे हुए पूरे डेटा के साथ एक पुष्टिकरण स्क्रीन दिखाई देगा.

(ङ) आवेदक उसे संशोधित कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है.

(च) पुष्टि करने पर उसकी प्राप्ति सूचना दिखाई देगी. उस प्राप्ति सूचना में 15 अंक का विशिष्ट प्राप्ति सूचना नंबर होगा.

(छ) आवेदक से अनुरोध है कि वे इस प्राप्ति सूचना को सेव कर उसका प्रिंट लें.

(ज) प्राप्ति सूचना में दिये गये स्थान पर व्यक्तिगत आवेदकों को हाल का **रंगीन** फोटोग्राफ (आकार 3.5 सेमी X 2.5 सेमी) चिपकाना होगा. प्राप्ति सूचना पर फोटोग्राफ को स्टेपल या क्लिप न लगाई जाये. (पैन कार्ड की सफाई प्राप्ति सूचना पर लगाई गई फोटो की गुणवत्ता और स्पष्टता पर निर्भर करेगी).

(झ) हस्ताक्षर/ बायें अंगूठे का निशान प्राप्ति सूचना में दिये गये बॉक्स की भीतर ही रहना चाहिए. 'व्यक्तियों' के अलावा अन्य आवेदकों के मामले में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्राप्ति सूचना पर हस्ताक्षर करेगा. **हस्ताक्षर फोटोग्राफ पर नहीं होने चाहिए. यदि फोटोग्राफ पर ऐसा कोई निशान है जिससे आवेदक के चेहरे की स्पष्टता छुपती है तो ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा**.

(ञ) अंगूठे के निशान को मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए और उसकी आधिकारिक मुहर होनी चाहिए.

(ट)'आधार'

मामले में व्यक्तिगत आवेदक का आधार संख्या आवेदन प्रपत्र में दर्ज किया जाता है, दस्तावेजों के समर्थन के साथ-साथ 'आधार' की तो सबूत एनएसडीएल ई-शासन को प्रस्तुत किया जाना है। आधार कार्ड की प्रतिलिपि जन्म की पहचान / पता / तिथि के प्रमाण के रूप में चयन किया जाता है, तो यह आधार संख्या दर्ज करने के लिए अनिवार्य है। यदि आवेदक 'मामूली' है, नाबालिग के आधार आवेदन पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए। (यानी प्रतिनिधि निर्धारिती के आधार संख्या का उल्लेख नहीं है)

आधार संख्या (बशर्ते हो) आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि आवेदक के विवरण का उपयोग कर प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(ठ) यदि पत्र-व्यवहार का पता भारत के भीतर का है तो

(i) पैन आवेदन को प्रोसेस करने की फीस 107.00 ₹. (93.00 ₹.+ 15% सेवा कर) है.

(ii) भुगतान निम्नलिखित में किसी एक प्रकार से किया जा सकता है:

- **डिमांड ड्राफ्ट**
- **क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड**
- **नेट बैंकिग**

(iii) यदि कोई भी पता अर्थात् कार्यालय का पता या आवास का पता विदेश का पता है तो भुगतान केवल **मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट** के द्वारा किया जा सकता है.

(ड) यदि पत्र-व्यवहार का पता विदेश का है तो

(i) पैन आवेदन को प्रोसेस करने की फीस 994.00 ₹. [आवेदन फीस 93.00 ₹. + भेजने का खर्च 771.00 ₹.] + 15% सेवा कर है.

(ii) भुगतान केवल **मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट** से किया जा सकता है.

(iii) वर्तमान में यह सुविधा केवल चुनिंदा देशों के लिए उपलब्ध है.

अन्य देशों के आवेदक नीचे बिन्दु (V) में दिये गये विवरण के अनुसार एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं.

यदि आवेदक आवेदन फॉर्म की मद संख्या 14 में प्रतिनिधि कर निर्धारिती का विवरण प्रदान करता है तो यह बिन्दु लागू नहीं होगा.

(ढ) डिमांड ड्राफ्ट **'एनएसडीएल - पैन'** के नाम से आहरित होना चाहिए.

(ण) डिमांड ड्राफ्ट मुंबई में देय होना चाहिए और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे प्राप्ति सूचना के नंबर लिखे होने चाहिए.

(त) **क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग द्वारा भुगतान**

जो व्यक्ति क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग के द्वारा भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं वे निम्नानुसार हैं:

आवेदक की श्रेणी	**निम्नलिखित के द्वारा / के लिए क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग के द्वारा भुगतान किया**

	जा सकता है
व्यक्ति	स्वयं, परिवार के नजदीकी सदस्य (माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे)
एचयूएफ	एचयूएफ का कर्ता
कंपनी	कंपनी का कोई निदेशक
फर्म	फर्म का कोई साझेदार
व्यक्तियों का संघ/ व्यक्तियों के निकाय/ व्यक्यिों का संघ ट्रस्ट/ कृत्रिम विधिक व्यक्ति/ स्थानीय प्राधिकरण	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अंतर्गत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जो आवेदक क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के द्वारा भुगतान करेंगे उनसे भुगतान गेटवे की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक द्वारा 2% (+ सेवा कर) तक का अतिरिक्त अधिभार वसूल किया जायेगा.

जो आवेदक नेट बैंकिग के द्वारा भुगतान करेंगे उनसे भुगतान गेटवे की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक द्वारा 4.00 ₹. + सेवा कर का अतिरिक्त अधिभार वसूल किया जायेगा.

क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिग द्वारा ठीक प्रकार से भुगतान करने पर प्राप्ति सूचना दिखाई देगी. आवेदक इसे सेव कर उसका प्रिंट लेगा और नीचे दिये गये बिन्दु (थ) एवं (द) में बताये अनुसार एनएसडीएल को भेजेगा.

(थ) डिमांड ड्राफ्ट, यदि कोई हो, के साथ विधिवत् हस्ताक्षरित प्राप्ति सूचना और उस पर लगे हुए फोटोग्राफ (व्यक्तियों के मामले में) के साथ, पहचान का प्रमाण (आवेदन में नाम वही होना चाहिए जो पहचान के प्रमाण में है) और पते का प्रमाण (व्यक्तियों, एचयूएफ, व्यक्तियों के निकाय, व्यक्तियों के संघ और कृत्रिम विधिक व्यक्तियों को आवेदन में बताए अनुसार आवास के पते का प्रमाण देना चाहिए) आवेदन फॉर्म में बताये अनुसार एनएसडीएल को निम्नलिखित पते पर भेजना चाहिए:

आयकर पैन सेवा इकाई, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8, मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास,

पुणे – 411 016.

(द) लिफाफे के ऊपर 'पैन के लिए आवेदन - प्राप्ति सूचना नंबर' **(अर्थात् 'पैन के लिए आवेदन - 88101010000097')** लिखें.

(ध) आपकी प्राप्ति सूचना, डिमांड ड्राफ्ट, यदि कोई हो, और प्रमाण ऑन-लाइन आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर एनएसडीएल के पास पहुंच जाने चाहिए.

(न) भुगतान के तरीके के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्राप्त आवेदनों को संबंधित प्रमाण प्राप्त होने और भुगतान की वसूली होने पर ही प्रोसेस किया जायेगा.

(प) अधिक जानकारी के लिए

- टिन काल सेन्टर में 020-2721 8080 पर फोन करें ;
- फैक्स: 020-2721 8081
- हमें ई मेल करें : tininfo@nsdl.co.in
- एसएमएस करें NSDLPAN **<स्थान छोड़े>** प्राप्ति सूचना नंबर टाइप करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए 57575 पर भेज दें.
- या हमें लिखे : आय कर पैन सेवा इकाई, (**एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को** 5**वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं.** 341, **सर्वे नं.** 997/8, **मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे -** 411 016